सीताराम वगै० बनाम कमल सिंह

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	10/2022 आज्ञा विस्तृत रूप से
	19/5/24	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं। वक्त अदालत वादी व इनके अधिवक्ता को बार बार आवाज लगवाई गई। वादी व उनके अधिवक्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने से वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली केवल शुमार होकर, दर्ज नम्बर होकर, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Reader
19.1.22

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय जयपुर

वाद पत्र संख्या 10 /2022

1 सीताराम चौधरी पुत्र श्री श्योराम जाति जाट निवासी ग्राम सुखिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर

2 राधाकिशन चौधरी पुत्र श्री श्योराम जाति जाट निवासी ग्राम सुखिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर

वादी

बनाम

कमल सिंह चौधरी पुत्र श्री गोली सिंह चौधरी जाति जाट निवासी टी ए 320 अर्चना जैवलर्स मुहाना मण्डी के सामने जयपुर

प्रतिवादी

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा व सीमा निर्धारण अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

मान्यवर,

वादी की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत है कि

1 यह कि वादी सख्या एक की हाल आराजी कृषि भूमि खसरा न0 340 रक 0.3465 है0, खसरा न0 728/339 रकबा 0.0285 है0 कुल किता 2 रकबा 0.3750 है0 व वादी सख्या दो की हाल आराजी कृषि भूमि खसरा 339/1 रकबा 0.0815 है0, खसरा न0 729/340 रकबा 0.1370 है0, ख न0 730/340 रकबा 0.1565 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.3750 है0 ग्राम सुखिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित है जिसमे किसी प्र का कोई विवाद नही है।

2 यह कि वादीगण की उक्त आराजीयात के चारो ओर पुख्ता व बाउण्डरीवॉल बनी हुयी है। जिसमे वादीगण ने फसल व अन्य पेड पौधे ... है तथा अपने उपयोग उपभोग मे लेते आ रहा है।

सीताराम राधाकिशन

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.11 15:26:37 IST
Reason: SelfAttested